उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-56/2017/2483जेएल/22-3-17-100(41)/2008
लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-3441/2016-अशोक दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्या-7030/2015-सुन्दर भाटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सहबद्ध करते हुए, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-05-2017 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

" In view of our above answers to question nos. 1 and 2, we are passing the following orders:

1. Writ Petition Nos1. Writ Petition Nos. 7030/2015 (Annexure Nos.3, 4, 5 and 6), 24104/2015(Annexure No.5), 29764/2015 (Annexure Nos.2, 3 and 4), 7123/2016, (Annexure no.1), 11594/2016 (Annexure Nos.1 and 12), 11865/2016 (Annexure No.3),17855/2016 (Annexure Nos.1, 2, 3 and 4), 3649/2016 (Annexure No.2), 11750/2016 (Annexure No.2), 19014/2016 (Annexure No.1) and 19739/2016(Annexure No.2) are allowed and impugned orders contained in the Annexures mentioned within bracket of the respective writ petitions are hereby quashed to the extent those relate to the petitioners' concerned.
2. Writ Petition No. 11865/2016 is partly allowed and its Annexure Nos. 2 and 3 are hereby quashed to the extent those relate to the petitioner.
3. Since the transfer orders, consequential orders and orders granting permission for transfer of the petitioners subject to challenge in the aforesaid writ petitions are quashed by us consequent to that, the respondents/authorities concerned are directed immediately to return back the petitioners concerned to the jails wherefrom they have been transferred to the present jails.
4. It is clarified that quashing of the above orders will not preclude the State Government for passing of fresh transfer orders of the petitioners from one jail to another, if need arises to do so in accordance with law laid down by Hon'ble Apex Court in *State of Maharashtra's case.*
5. The Writ Petition Nos. 27600/2015, 5132/2016 and 3441/2016 are disposed of with the directions that in case the petitioners submit their fresh representations within sixty days from today to the State Government/ concerned Authorities for redressal of their grievances stating all necessary facts alongwith affidavit and relevant documentary evidence in support of their cases, same will be considered and decided within ninety days from the receipt thereof by means of reasoned and speaking orders, after providing opportunity of hearing to the petitioners."

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-05-2017 के अनुपालन में याची बंदी अशोक दीक्षित द्वारा अपनी पुत्री सुश्री रूपाली दीक्षित के माध्यम से प्रत्यावेदन दिनांक 03-07-2017 एवं स्वयं पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 02-08-2017 प्रस्तुत किया गया। उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रत्यावेदनों में बंदी के 68 वर्षीय वृद्ध होने, गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होने, जनपद बरेली में कोई वाद लम्बित न होने तथा जनपद-आगरा व फिरोजाबाद में लम्बित 07 वादों में पेशी पर आने-जाने में होने वाली कठिनाईयों व नियमित रूप से पेश न हो पाने, विरोधियों से जान का खतरा होने आदि के दृष्टिगत बंदी को केन्द्रीय कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-05-2017 के अनुपालन में याची बंदी के प्रत्यावेदन पर सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन के समक्ष दिनांक 31-08-2017 को सुनवाई हुई, जिसमें याची बंदी की पुत्री सुश्री रूपाली दीक्षित एवं उसके दो अधिवक्ता, श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री सुदर्शन सिंह उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान याची बंदी की पुत्री सुश्री रूपाली दीक्षित द्वारा जनपद बरेली में बंदी का कोई वाद विचाराधीन न होने, बंदी की अधिक उम्र एवं कई बीमारियों से ग्रसित होने, आगरा व फिरोजाबाद के मा0 विचारण न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने, जेल में बंदी के विरूद्ध कोई शिकायत न होने एवं बंदी का उपचार आगरा में होने के दृष्टिगत याची बंदी अशोक दीक्षित को केन्द्रीय कारागार, बरेली से जिला कारागार, फिरोजाबाद अथवा केन्द्रीय कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- याची बंदी अशोक दीक्षित के प्रत्यावेदन दिनांक 03-07-2017 पर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-29455/सामा-1(3)/बंदी रिट/2016, दिनांक 16-08-2017 द्वारा यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि याची बंदी इससे पूर्व झांसी मे निरूद्धि के समय जनपद-फिरोजाबाद के लम्बित वादों में निर्धारित तिथियों में पेश होने के बाद याची बंदी पुलिस सुरक्षा कर्मियों को विश्वास में लेकर फिरोजाबाद में स्थित अपनी टांसपोर्ट कम्पनी, जो सीज कर दी गयी थी, का ताला तोड़कर उसने अपने गैंग के लोगों के साथ आपराधिक षडयंत्र रचने की आख्या जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा प्रेषित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सूचित किये जाने के आधार पर याची बंदी का स्थानान्तरण जिला कारागार, झांसी से प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, बरेली किया गया था। आगरा जनपद से फिरोजाबाद जनपद के सन्निकट होने व बंदी का प्रभावी क्षेत्र होने के कारण एवं गम्भीर आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत बंदी द्वारा संगठित अपराध में संलिप्त हो जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार याची बंदी अशोक दीक्षित को केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किया जाना कानून एवं व्यवस्था के विपरीत हो सकता है। जनपद-आगरा के लम्बित वादों के विचारण के संबंध में उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा परिक्षेत्र, आगरा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समय-समय पर याची बंदी अशोक दीक्षित को केन्द्रीय कारागार, आगरा में अस्थाई रूप से निरूद्ध किया जाता रहा है। याची बंदी द्वारा केन्द्रीय कारागार, आगरा में अस्थाई निरूद्धि के दौरान गुटबंदी कराने, अपने विरोधी पक्ष के बंदियों को धमकाने, जेल कर्मियों को प्रभाव में लेने व अभद्रता करने आदि की घटनाएं प्रकाश में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आती रहीं हैं, जिसके दृष्टिगत महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुश्री रूपाली दीक्षित पुत्री अशोक दीक्षित के प्रत्यावेदन दिनांक 03-07-2017 एवं याची बंदी के पूरक प्रत्यावेदन 02-08-2017 में किये गये अनुरोध पर याची बंदी को केन्द्रीय कारागार, बरेली से केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित न किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5- अतएव बंदी अशोक दीक्षित पुत्र श्री रामनरायन दीक्षित, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के प्रत्यावेदनो एवं सुनवाई के दौरान संज्ञान में लाये गये तथ्यों तथा महानिरीक्षक, कारागार की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त याची बंदी अशोक दीक्षित को केन्द्रीय कारागार, बरेली से जिला कारागार, फिरोजाबाद अथवा केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तदनुसार रिट याचिका संख्या-3441/2016 अशोक दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 के अनुपालन में याची बंदी अशोक दीक्षित पुत्र श्री रामनरायन दीक्षित द्वारा अपनी पुत्री सुश्री रूपाली दीक्षित के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03-07-2017 एवं स्वयं प्रस्तुत पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 02-08-2017 बलहीन पाते हुए एतदद्वारा अस्वीकृत एवं निस्तारित किया जाता है।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या-56/2017/2483जेएल(1)/22-3-17-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5- बंदी अशोक दीक्षित पुत्र श्री रामनरायन दीक्षित, द्वारा-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in